

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई, 2016-आषाढ़ 10, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि वर्तमान तक मेरा नाम सागर शाह पिता फारूक शाह था व मैं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाता रहा एवं मेरा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेख, अंकसूची, आईडी में दर्ज/अंकित हैं। अब मैंने अपना पुराना नाम सागर शाह पिता फारूक शाह से परिवर्तित कर अपना नवीन नाम साहिल अली पिता फारूक शाह कर लिया है, अब मुझे भविष्य में मेरे नवीन नाम साहिल अली पिता फारूक शाह के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(सागर शाह)

(साहिल अली)

(189-बी.)

निवासी—162, नयापुरा, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी के पहले मेरा नाम कुमारी प्रेम तायल पुत्री स्व. श्री मदनमोहन तायल था, शादी के बाद मुझे प्रेम अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपना नाम स्थायी रूप से कुमारी प्रेम तायल एवं प्रेम अग्रवाल के स्थान पर प्रेमलता रखना चाहती हूँ।

अतः भविष्य में मुझे प्रेमलता पत्नी श्री धनश्याम दास अग्रवाल के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रेम अग्रवाल)

(प्रेमलता)

(197-बी.)

पत्नी श्री धनश्याम दास अग्रवाल,
28/180, राधा कॉलोनी, गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वैशाली पति परेश कुमार गडे, निवासी-परेश, निवास-वार्ड नम्बर 7, तिलक चौराहा, बुरहानपुर (म.प्र.) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम वैशाली पिता श्रीराम आकोले था तथा मेरा विवाह दिनांक 03-02-2001

को बुरहानपुर (म.प्र.) निवासी—परेश कुमार पिता कांतीलाल गडे के साथ सम्पन्न हुआ है। विवाह के उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर “कुमकुम पति परेश कुमार गडे” रख लिया है। इस प्रकाशन के बाद भविष्य में मैं अपने नवीन परिवर्तित नाम “कुमकुम पति परेश कुमार गडे” का उपयोग समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में दस्तावेजों के रूप में करूँगी। तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(वैशाली)

पुत्री श्रीराम आकोले।

(198-बी.)

नया नाम :

(कुमकुम)

पति परेश कुमार गडे,
पता—परेश निवास वार्ड नं. 7,
तिलक चौराहा, बुरहानपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, declare that before marriage my name was Shalini Singhai. After marriage I have changed my name as Farha Khan W/o Mehmood Khan in future I will be known as New Name Farha Khan.

Old Name:

(SHALINI SINGHAI)

(199-B.)

New Name :

(FARHA KHAN)

W/o Mehmood Khan,

Address—Flat No. 502, Regency Manor,
10, Ravi Nagar, Indore (M.P.) Pin-452018.

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumari Singh D/o Late Ramniwash Baghel, age 24 years, residing B-Block, Hurawali, Gwalior (M.P.). Do hereby inform to General Public and all concerned that since my birth to the present, I am known and called as MANOJ KUMARI SINGH Daughter of RAMNIWASH BAGHEL, Now I have changed my name to MUSHKAN BAGHEL. Henceforth I will be known as MUSHKAN BAGHEL.

Old Name:

(MANOJ KUMARI SINGH)

(200-B.)

New Name :

(MUSHKAN BAGHEL)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RK Rai, having head office at Kamath Ward, Goregaon, Narsinghpur is registered partnership firm (Regn. No. J.S. 56/2000-2001). On 02-06-2016, Smt. Bejyanti Bai Rai, retired from the partnership and Shri Tanmay Rai joined in as a partner in the firm.

Now the partners of the firm are Shri Rajendra Kumar Rai, Shri Surendra Kumar Rai, Smt Bhagyashree Rai, Smt. Rajshree Rai and Shri Tnamay Rai.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For—M/s RK Rai

RAJENDRA KUMAR RAI,

(Partner).

(191-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स सिपको फार्मस्युटिकल्स फर्म के रूप में सं. पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत हैं एवं दिनांक 31-03-1999 को श्री गोपाल राव पिता श्री मल्हार राव तपस्वी, निवासी-38, नंदलालपुरा, इन्दौर फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-1999 को श्री श्याम झंवर पिता श्री अरूण कुमार झंवर, निवासी-35/1, पिंगडंबर, ए. बी. रोड, इन्दौर फर्म में भागीदार के रूप से शामिल हुये हैं एवं दिनांक 28-12-2012 को श्री विजय लक्ष्मी झंवर पति स्वर्गीय श्री अरूण कुमार झंवर, 35/1, पिंगडंबर, ए. बी. रोड, इन्दौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं साथ ही 28-12-2012 को फर्म में श्री गौरव झंवर पिता स्वर्गीय श्री अरूण कुमार 35/1, पिंगडंबर, ए. बी. रोड, इन्दौर नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं।

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है।

(192-बी.)

द्वारा—मेसर्स सिपको फार्मस्युटिकल्स,
गौरव झंवर,
(पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स एम. पी. टरमारिक, पंजीयन क्रमांक 00246/13, प्लॉट नंबर 47, फर्स्ट फ्लोर, सी-सेक्टर, इंद्रपुरी, भोपाल म.प्र. के भागीदार विलोख में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है श्री अमित कुमार सक्सेना पिता श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना एवं आशीष पालीवाल पुत्र श्री लीलाधर पालीवाल को आपसी सहमति से दिनांक 23-02-2015 को निवृत्त किया जाता है एवं अंकित सक्सेना पुत्र श्री कृष्ण कुमार सक्सेना, नमन गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार गुप्ता एवं इन्द्रप्रीत सिंह खुराना पुत्र श्री दलजीत सिंह खुराना को दिनांक 23-02-2015 से फर्म का नया भागीदार बनाया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म परिवर्तित भागीदार, भागीदार एवं निवृत्त भागीदार से फर्म संबंधी कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था, जिसको हित प्रवाहित होता है, वह सूचना प्रकाशन से 07 दिन के भीतर में मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी एवं शून्य मानी जावेगी।

भवदीय

शिवल सिंह चौहान,

(अधिवक्ता)।

(190-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदार फर्म मेसर्स एस. वी. फूड्स एण्ड एंटरटेनमेन्ट, स्थान 1, गुरमीत नगर, फार्चुन औरा, भवरकुआँ, इन्दौर के दो भागीदार- 1. श्री चेतन सचदेवा पिता राजकमल सचदेवा, 2. श्री वनीत सचदेवा पिता श्री राजकमल सचदेवा दिनांक 30-06-2015 से अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म मेसर्स एस. वी. फूड्स एण्ड एंटरटेनमेन्ट से पृथक् हो गये हैं अर्थात् अब दिनांक 30-06-2015 इस भागीदारी फर्म एस. वी. फूड्स एण्ड एंटरटेनमेन्ट में निम्नलिखित भागीदार हैं- 1. श्री करन वर्मा पिता श्री केशवचंद्र वर्मा, 2. श्री कुनाल वर्मा पिता श्री केशवचंद्र वर्मा। सूचित हो।

For—SV Foods & Entertainment

KUNAL VERMA,

(Partner).

(193-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदार फर्म मेसर्स एस. के. एंटरप्राइजेस, स्थान 2, जवाहर नगर, इन्दौर के दस भागीदार 1. मुरलीधर पिता श्री कुन्दनदास, 2. मंशाराम पिता श्री कुन्दनदास, 3. प्रहलाद पिता श्री कुन्दनदास, 4. कुन्दनदास पिता श्री नवलमल, 5. सोनी पिता श्रीचंद्र बुधानी, 6. ज्ञानचंद्र पिता श्री गिरधारीलाल, 7. पंकज कुमार पिता श्रीदीपचंद्र, 8. जितेन्द्र कुमार जयकिशन, 9. जयपालदास पिता श्री संगतमल, 10. अनिल कुमार ठाकुरदास दिनांक 08-10-2004 से अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म मेसर्स एस. के. एंटरप्राइजेस से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 09-06-2005 से अन्य पाँच भागीदार 1. लक्ष्मीचंद्र पिता किशनदास, 2. श्रीमती सरला पिता कुन्दनदास, 3. श्री अमरलाल पिता सच्चानंद, 4. श्री सतीशकुमार पिता सच्चानंद, 5. श्रीमती वीना पति श्री चन्द्रकुमार उक्त भागीदार फर्म मेसर्स एस. के. एंटरप्राइजेस में निम्नलिखित भागीदार हैं:- 1. श्री दिलीप पिता श्री श्रीचंद्र बुधानी, 2. श्री विनय पिता श्री नंदलाल मोटवानी, 3. श्री ओमप्रकाश पिता श्री फतनदास पंजवानी, 4. श्री शंकरलाल पिता श्री फतनदास पंजवानी, 5. श्री लक्ष्मीचंद्र पिता किशनदास, 6. श्रीमती सरला पिता कुन्दनदास, 7. श्री अमरलाल पिता सच्चानंद, 8. श्री सतीशकुमार पिता सच्चानंद, 9. श्रीमती वीना पति श्री चन्द्रकुमार। सूचित हो।

For—S. K. Enterprises,

LAKHMI CHAND,

(Partner).

(194-B.)

सूचना-पत्र

(भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स सावित्री स्टील, भोपाल पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00345/10, वर्ष 2009-10, उक्त फर्म दिनांक 28-04-2012 से भंग हो गयी है।

मेसर्स सावित्री स्टील,

अरविन्द कुमार पांडेय,

A-4, फाइन एवेन्यू, नयापुरा कोलार रोड,

भोपाल 462042.

(195-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मैसर्स ए. सी. सी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 70, गांधी नगर, शिवपुरी, मध्यप्रदेश फर्म व सोसायटी, ग्वालियर से पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00068/09, दिनांक 04-03-2009 है। जिसमें दिनांक 01-02-2014 से भागीदार (1) श्री आनन्दी प्रसाद पुत्र श्री राजाराम, निवासी शिवपुरी एवं (2) श्री प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री नरेन्द्र सक्सैना, निवासी शिवपुरी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पुथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह सात दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

मैसर्स ए. सी. सी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
प्रवीण,
70, गांधी नगर, शिवपुरी (म.प्र.)।

(196-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म कुगा पी.वी.सी. प्लास्टिक प्रोडक्ट, 19 इंडस्ट्रियल एरिया, सतना, म. प्र. में पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 11 जून, 1980 के द्वारा उक्त फर्म पंजीकृत है। इसमें निम्न पार्टनर थे—

1. ज्ञानदास हासवानी, 2. श्री चन्द मनवानी हैं। जो कि दिनांक 01.04.2006 से श्री चन्द मनवानी जी उक्त फर्म से पुथक् हो रहे हैं। जिनकी लेनदारी व देनदारियाँ शेष नहीं हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो 10 दिन के अन्दर फर्म के इस पते पर सूचित करें। उक्त फर्म की दिनांक 01-04-2016 की फर्म पार्टनर सम्मिलित हो रहे हैं।

1. श्री कृष्ण हासवानी, 2. जयंत हासवानी

For—Kuga PVC & Plastic Product,
ज्ञानदास हासवानी,
(पार्टनर).

(201-बी.)

PUBLIC NOTICE

(U/s 72 Of Indian Partnership Act. 1932)

It is hereby noticed that M/s J. C. Sharma & Sons registered office at 34, C-Sector Indrapuri, Bhopal is a partnership firm which was reconstituted on 23rd march 2009 due to the retirement of the partner 1. Smt. Jyoti Sharma W/o Late Shri Mahendra Kumar Sharma w.e.f. 1st July, 2015 by virtue of the deed of retirement executed amongst themselves on 23rd March, 2009.

M/s. J.C. Sharma & Sons
जे. सी. शर्मा,
(Partner).

(202-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स मयूर इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं 13, पंधाना रोड, खण्डवा भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।

फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार दिनांक 25-5-2016 से—

1. श्रीमती रतन ज्योति तिवारी पति श्री मधुसूदन तिवारी,
2. श्री यश तिवारी पिता श्री मधुसूदन तिवारी।

फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं एवं

फर्म से पुथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार दिनांक 05-06-2016 से—

1. श्री नरेन्द्र कुमार चांडक पिता श्री नरसिंगदास चांडक,
2. श्रीमती इन्द्रजीत कौर पति श्री अजीतसिंह उबेजा।

दिनांक 05-06-2016 से मै. मयूर इण्डस्ट्रीज फर्म में निम्न भागीदार हैं।

1. श्री मधुसूदन तिवारी पिता श्री रामविलास तिवारी,
2. श्रीमती रतन ज्योति तिवारी पति श्री मधुसूदन तिवारी,
3. श्री यश तिवारी पिता श्री मधुसूदन तिवारी।

(203-बी.)

वास्ते—मे. मयूर इण्डस्ट्रीज,
मधुसूदन तिवारी,
(भागीदार)।

जाहिर सूचना

भारतीय भागीता अधिनियम की धारा-72 के अंतर्गत मै. गुप्ता कन्स्ट्रक्शन स्टेशन रोड, मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश की ओर से सर्वजन को सूचित किया जाता है कि इस रजिस्टर्ड फर्म के एक भागीदार श्री रमेशचन्द्र पिता हरीप्रसाद गुप्ता, निवासी मेघनगर का निधन दिनांक 14-09-2011 को हो जाने से इस रजिस्टर्ड फर्म के शेष भागीदार सुरेशचन्द्र पिता रमेशचन्द्र गुप्ता, महेन्द्र कुमार पिता रमेशचन्द्र गुप्ता, विजय कुमार पिता रमेशचन्द्र गुप्ता, संजय पिता रमेशचन्द्र गुप्ता, निवासीगण मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश दिनांक 15-09-2011 से रहे हैं। जिसका भागीदारी लेख दिनांक 29-09-2011 को निष्पादित किया गया है। तदैव सर्व-साधारण को सूचनार्थ है।

फर्म-गुप्ता कन्स्ट्रक्शन, स्टेशन रोड मेघनगर,
महेन्द्र कुमार,
(भागीदार)
जिला झाबुआ (म.प्र.).

(204-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स शीतला एक्सप्लोसिव एण्ड कम्पनी स्थित 210, ठाकुरदास मौहल्ला, भाण्डेर, जिला दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/39/02/00049/14, दिनांक 06-06-2014 है। जिसमें भागीदार (1) श्री हरगोविन्द सिंह सेंगर पुत्र श्री नबाब सिंह सेंगर, निवासी भाण्डेर एवं (2) श्री पुष्टेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र श्री नबाब सिंह सेंगर, निवासी माधौनगर, ग्वालियर। दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 10-05-2016 से भागीदारी फर्म का विघटन (समाप्त) की गई है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स शीतला एक्सप्लोसिव एण्ड कम्पनी,
हरगोविन्द सिंह सेंगर,
(पार्टनर).
दतिया.

(205-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा, जिला रत्लाम

जावरा, दिनांक 12 मई, 2016

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र./2629/रीडर-1/16.-आवेदक श्री नरसिंग मंदिर, धाकड़ समाज, जावरा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर श्री नरसिंग मंदिर धाकड़ समाज, जावरा के ट्रस्ट के गठन/पंजीयन बाबत निवेदन किया।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 03 जून, 2016 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड कार्यालय, जावरा में उपस्थित होकर अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें, और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें। निर्धारित नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम | :- श्री नरसिंग मंदिर, धाकड़ समाज ट्रस्ट, जावरा तहसील जावरा, जिला रत्लाम। |
| 2. चल सम्पत्ति का विवरण | :- गैस भट्टा 2 नग, तपेला एल्युमिनियम 7 नग, परात एल्युमिनियम 6 नग, बॉल्टी स्टील 50 नग, चम्मच सटी 50 नग, धामा स्टील 80 नग, ट्रे एल्युमिनियम 25 नग, परचा लोहे के 5 नग, सेव कढ़ाई 3 नग, कमण्डल स्टील 10 नग, ड्रम 2 नग, नाव 2 नग, ईमानदस्ता 1 नग, भगवान का मुकुट कलांगी चांदी का एवं कुण्डल कान के 2 चांदी के कुल वजन 535 ग्राम, चांदी का छत्तर 2 नग, कुल वजन 360 ग्राम, भगवान के हाथ के कड़े 2 नग कुल वजन 20 वजन 20 ग्राम चांदी, इलेक्ट्रॉनिक घण्टी 1 नग। |

3. अचल सम्पत्ति का विवरण : श्री नरसिंग मंदिर, धाकड़ समाज ट्रस्ट, जावरा में 1. धाकड़ीपुरा, जावरा भवन क्रमांक 17 अभिलेख में श्री नरसिंग मंदिर के नाम से दर्ज 2. रादा मुकिम खां की गड़ी भवन क्र. 3/2 पर धाकड़ समाज का नोहरा 3. ग्राम सेजावता, तहसील जावरा में स्थित भूमि सर्वे क्र. 71 रकबा 0.708 एवं सर्वे क्र. 217 रकबा 1.044 नरसिंग मंदिर के स्वामी स्वत्व और आधिपत्य की होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

अनूप कुमार सिंह,

(475)

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़नगर, जिला उज्जैन

प्रक्र.2/बी-113/15-16.

प्रो.र.न. 448/7-6-2016

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री रमेशचंद्र पिता ज्ञानचंद्र बागरेचा आदि, निवासी ग्राम खरसोदकलाँ, तहसील बड़नगर की ओर से श्री आदिनाथ जैन, श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट खरसोदकलाँ के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के पश्चात्/उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	श्री आदिनाथ जैन, श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट खरसोदकलाँ।
ट्रस्ट का पता	:	ग्राम खरसोदकलाँ, तहसील बड़नगर।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक।
चल सम्पत्ति	:	पंजाब नेशनल बैंक खरसोदकलाँ, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन में खाता नम्बर 1161002100002222।

आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. शर्मा,

(476)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री पं. योगेन्द्र पिता स्व. रामगोपाल दास मंहत व अन्य-3, पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड़, इन्दौर द्वारा विश्व ब्राह्मण समाज संघ ट्रस्ट, कार्यालय पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड़, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	विश्व ब्राह्मण समाज संघ ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रूपये 2000 जो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा गांधी नगर में जमा है तथा एक एफ. डी. राशि 10,000/- के रूप में है.

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(477-A)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री अनिल टेकचंदानी पिता सुदामालाल टेकचंदानी व सुनिल पिता टेकचंदानी एवं राजेश पिता सुरेश राय निवासी-38, गंगाज नगर रिंग रोड, बेहिन्दराम मयुर हॉस्पिटल, इन्दौर के द्वारा Indore West Congregation of Jehovah's witnesses religious trust कार्यालय का पता-38, गंगाज नगर रिंग रोड बेहिन्दराम मयुर हॉस्पिटल, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	Indore West Congregation of Jehovah's witnesses religious trust.
पता	:	कार्यालय पता-38, गंगाज नगर रिंग रोड बेहिन्दराम मयुर हॉस्पिटल, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रूपये 2000 से न्यास का संचालन किया जा रहा है.

आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(477-B)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक सार्वजनिक श्रीराम भक्त खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष श्री शिवनाराण कराड़िया पता-4-बी, संचार नगर मेन रोड, इन्दौर द्वारा सार्वजनिक श्रीराम भक्त खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट कार्यालय पता-सार्वजनिक श्रीराम भक्त वीर खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट प्रागण संचार नगर मेन कनाड़िया रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सार्वजनिक श्रीराम भक्त खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट
---------------	---	--

पता : कार्यालय पता-4-बी, संचार नगर मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : चल सम्पत्ति में रुपये 2000 से न्यास का संचालन किया जा रहा है.

आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार,


(477-C)

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, उत्तर वनमण्डल, सागर

आदेश

वन परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा के पत्र क्रमांक/411, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के प्रतिवेदन अनुसार पाश्व अंकित आकृति का निम्नांकित हेमर (हथौड़ा) जो कूप नंबर/VIII पाटन SCI पातन कार्य हेतु उप वनमण्डल अधिकारी उत्तर सागर द्वारा चालान क्रमांक/03/83, दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से प्रदाय किया गया था। वनरक्षक श्री लक्ष्मण सिंह पटेल वीट प्रभारी पाटन से उक्त हेमर दिनांक 09 अप्रैल, 2016 को जंगल भ्रमण के समय रास्ते में बेग सहित गिर गया। हेमर खोजने का हर संभव प्रयास किये जाने के बाद भी हेमर प्राप्त नहीं हो सका, जिसकी लिखित सूचना पुलिस थाना प्रभारी विनेका को दी गयी, समस्त प्रयासों के बाद भी हेमर अप्राप्त है।



अतः आदेश दिया जाता है कि:-

आदेश क्रमांक/मा.चि./स्था./16/151

सागर, दिनांक 07-06-2016

वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त पातन हेमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेखों में अपलेखित किया जावे। हेमर का मूल्य 350/- (अंकन तीन सौ पचास रुपये मात्र) की श्री लक्ष्मण सिंह पटेल (वनरक्षक) वन परिक्षेत्र बण्डा से एक मुश्त वसूल कर शासकीय कोष में जमा किया जावे। वनरक्षक द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिये सचेत किया जाता है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आकृति का हेमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे निकट स्थित वन विभाग के कार्यालय या पुलिस थाने में जमा कर देवें। उक्त हेमर का अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना अथवा उपयोग करना अवैधानिक होना एवं उसके विरुद्ध कढ़ी कार्यवाही की जावेगी।

अनुराग कुमार,
वनमण्डलाधिकारी।

(478)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया (मध्यप्रदेश)

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:-

चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2016-17

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्रमांक	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1.	सेंवढ़ा	जरा	पी-5	2011-12	168.75
2.	सेंवढ़ा	डोगरपुर	पी-28	2011-12	127.57
3.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	205.43
4.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-2	2011-12	118.58
5.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2011-12	95.62
6.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	120.9
7.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2011-12	135.45

1	2	3	4	5	6
8.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2011-12	128.25
9.	दतिया	जिगना	पी-68	2011-12	118.85
10.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2011-12	83.93
11.	दतिया	मुड़रा	पी-88	2011-12	58.5
12.	दतिया	पहाड़	34	2011-12	138.15
13.	गोराघाट	विलासपुर	40	2011-12	156.37
14.	गोराघाट	धनोली	44	2011-12	133.42
15.	दतिया	चक्ररामसागर	पी-57	2011-12	108.46
16.	दतिया	बाजनी	पी-63	2011-12	89.34
17.	दतिया	घरावा	पी-72	2011-12	131.62
18.	दतिया	रेडा/झंडिया	पी-51	2011-12	132.53
19.	गोराघाट	गोराघाट	96/97	2011-12	84.37
20.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2011-12	120.6
21.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2011-12	105.54
22.	दतिया	रिछरा	पी-54	2011-12	50
23.	दतिया	सिरोल	पी-55	2011-12	50
24.	सेंवढ़ा	धनोली	आर-46	2011-12	50
25.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	50
26.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2011-12	50
27.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	50
28.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2011-12	156
29.	दतिया	गुजरा	पी-73-74	2011-12	240
30.	दतिया	उदगुवां	पी-82-83	2011-12	300
31.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-111	2011-12	300
32.	गोराघाट	निचरौली	पी-113	2011-12	300
33.	दतिया	चौपरा	पी-64	2011-12	15
34.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-103	2011-12	20
35.	सेंवढ़ा	मरसेनी	आर-35	2011-12	15
36.	सेंवढ़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्रं. 61	2011-12	0.915
37.	सेंवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2012-13	161.1
38.	सेंवढ़ा	डोंगरपुर	पी-28	2012-13	133.87
39.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-15	2012-13	165.6
40.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2012-13	116.94
41.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2012-13	0
42.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2012-13	120.6
43.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2012-13	141.3
44.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2012-13	127.12
45.	दतिया	डांग करैरा	पी-76	2012-13	145.23

1	2	3	4	5	6
46.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2012-13	134.55
47.	दतिया	मुड़रा	पी-89	2012-13	25.2
48.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2012-13	183.15
49.	दतिया	पहाड़	34	2012-13	197.5
50.	गोराघाट	गोविन्दनगर	41	2012-13	102.66
51.	गोराघाट	रजौरा	45	2012-13	138.82
52.	दतिया	चक्ररामसागर	पी-57	2012-13	106.65
53.	दतिया	चौपरा	पी-64	2012-13	104.95
54.	दतिया	गुजर्जा	पी-73	2012-13	173.47
55.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	139.27
56.	गोराघाट	डंगराकुंआ	98	2012-13	120.15
57.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2012-13	105.97
58.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2012-13	107.1
59.	गोराघाट	गोरा कोटरा	आर-93	2012-13	150
60.	सेवढ़ा	गोविन्द नगर	आर-41	2012-13	100
61.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	100
62.	दतिया	रिछरा	पी-54	2012-13	100
63.	दतिया	सेरसा	पी-71	2012-13	50
64.	दतिया	लरायटा	पी-75	2012-13	50
65.	दतिया	सलैया पवार	आर-79	2012-13	150
66.	सेवढ़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र. 83	2012-13	2.016
67.	सेवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2013-14	139.05
68.	सेवढ़ा	डोंगरपुर	पी-28	2013-14	139.5
69.	सेवढ़ा	डिरोलीपार	पी-16	2013-14	181.12
70.	सेवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2013-14	112.05
71.	सेवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2013-14	117.38
72.	सेवढ़ा	खमरौली	पी-27	2013-14	164.47
73.	सेवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2013-14	135.35
74.	सेवढ़ा	दिमरपुरा	पी-22	2013-14	113.13
75.	सेवढ़ा	पहाड़	आर-35	2013-14	152.78
76.	सेवढ़ा	गोविन्दनगर	आर-41	2013-14	135
77.	सेवढ़ा	रजौरा	आर-45	2013-14	108.23
78.	सेवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2013-14	200.00
79.	सेवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2013-14	150.00
80.	सेवढ़ा	टुकी	पी-01	2013-14	100.00
81.	सेवढ़ा	बसई मलक	आर-31	2013-14	150.00
82.	गोराघाट	निचरौली	पी-112	2013-14	177.3
83.	गोराघाट	डंगराकुंआ	आर-98	2013-14	139.05

1	2	3	4	5	6
84.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2013-14	102.05
85.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2013-14	124.42
86.	गोराघाट	ओरीना	पी- 105, 106	2013-14	500.00
87.	दतिया	मुड़रा	पी-90	2013-14	53.78
88.	दतिया	उदगवां	पी-82	2013-14	65.37
89.	दतिया	जिगना	पी-76	2013-14	120.00
90.	दतिया	गुजर्जा	पी-74	2013-14	74.00
91.	दतिया	चौपरा	पी-64	2013-14	112.366
92.	दतिया	चक रामसागर	पी-58	2013-14	205.9
93.	दतिया	झिरका बाग	पी-52	2013-14	119.25
94.	दतिया	चौपरा	पी-60-61	2013-14	90.00
95.	दतिया	दुर्गापुर	पी-78	2013-14	200.00
96.	दतिया	सिरोल	पी-55, 56	2013-14	270.00
97.	दतिया	बिड़नियां	पी-53	2013-14	67.00
98.	सेवढ़ा	बघावली	पी-16	2014-15	161.560
99.	सेवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2014-15	153.220
100.	सेवढ़ा	चिताई	पी-29	2014-15	170.780
101.	सेवढ़ा	बघावली	पी-17	2014-15	155.700
102.	सेवढ़ा	चिताई	पी-29	2014-15	151.870
103.	सेवढ़ा	कसा	पी-7	2014-15	141.980
104.	सेवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	124.200
105.	सेवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2014-15	89.320
106.	सेवढ़ा	जरा	पी-11	2014-15	123.760
107.	सेवढ़ा	मदनपुरा	पी-10	2014-15	98.550
108.	सेवढ़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	135.450
109.	सेवढ़ा	दिमरपुरा	पी-22	2014-15	121.280
110.	सेवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2014-15	133.400
111.	सेवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2014-15	96.530
112.	सेवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	115.260
113.	सेवढ़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	124.430
114.	सेवढ़ा	दिमरपुरा	पी-23	2014-15	145.350
115.	सेवढ़ा	रोशनपुरा	पी-12	2014-15	151.870
116.	सेवढ़ा	चिताई	पी-30	2014-15	154.800
117.	सेवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	139.340
118.	सेवढ़ा	ग्यारा	पी-7	2014-15	150.00
119.	सेवढ़ा	रिपोली	पी-25	2014-15	150.00
120.	सेवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	200.00
121.	सेवढ़ा	डिरोलीपार	पी-24	2014-15	100.00

1	2	3	4	5	6
122.	સેંબઢા	ડિરોલીપાર	પી-15	2014-15	76.00
123.	દતિયા	મુડ્રા	પી-84	2014-15	99.000
124.	દતિયા	મુડ્રા	પી-91	2014-15	22.730
125.	દતિયા	ઉદગવાં	પી-83	2014-15	121.050
126.	દતિયા	સલૈયા પવાર	પી-79	2014-15	163.900
127.	દતિયા	મુડ્રા	પી-92	2014-15	37.500
128.	દતિયા	ઉદગવાં	પી-83	2014-15	116.100
129.	દતિયા	સલૈયા પવાર	પી-79	2014-15	186.870
130.	દતિયા	ઝિરકાબાગ	પી-50, 51	2014-15	400.00
131.	દતિયા	બાજની	પી-62	2014-15	100.00
132.	દતિયા	ઘરાવા	પી-72	2014-15	279.00
133.	દતિયા	મુડ્રા	પી-81	2014-15	94.00
134.	દતિયા	ચક્ર બહાદુરપુર	આર-49	2014-15	127.00
135.	ગોરાઘાટ	ખોડુન	109	2014-15	203.630
136.	ગોરાઘાટ	નિચરોલી	પી-113	2014-15	212.900
137.	ગોરાઘાટ	નિચરોલી	પી-113	2014-15	200.200
138.	ગોરાઘાટ	હિનોતિયા	પી-101, 102	2014-15	300.00
139.	ગોરાઘાટ	બડોની	પી-109	2014-15	200.00
140.	દતિયા	બસિંહલક	R-31	2014-15	167.4
141.	દતિયા	પહાડ	R-35	2014-15	138.37
142.	દતિયા	ગોવિન્દનગર	R-41	2014-15	137.79
143.	દતિયા	રજૌરા	R-45	2014-15	101.02
144.	દતિયા	પહાડ, બારાબુજુર્ગ	R-36, P-37	2014-15	207.62
145.	દતિયા	ગોવિન્દનગર	R-41	2014-15	149.38
146.	દતિયા	ધનૌલી	R-46	2014-15	141.52
147.	દતિયા	બાજની	P-62	2014-15	188.320
148.	દતિયા	ચકબહાદુરપુર	47	2014-15	173.730
149.	દતિયા	ચકબહાદુરપુર	P-114	2014-15	4.960
150.	દતિયા	રિછરા	P-54	2014-15	151.430
151.	દતિયા	ઝિરકાબાગ	P-52	2014-15	158.180
152.	દતિયા	ગુર્જરા	P-74	2014-15	96.400
153.	દતિયા	દુર્ગાપુર	P-78	2014-15	123.530
154.	દતિયા	ચક્રરામસાગર	P-59	2014-15	134.320
155.	દતિયા	દુર્ગાપુર	P-77	2014-15	20.900
156.	દતિયા	ચક્રરામસાગર	P-59	2014-15	234.330
157.	દતિયા	દુર્ગાપુર	P-78	2014-15	160.200
158.	દતિયા	લરાયટા	75	2014-15	48.820
159.	દતિયા	બિડનિયા	P-53	2014-15	199.350

1	2	3	4	5	6
160.	गोराघाट	डगराकुआ	P-100	2014-15	114.070
161.	गोराघाट	हिड़ेरा	104	2014-15	101.700
162.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	84.150
163.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	130.400
164.	गोराघाट	हिड़ेरा	104	2014-15	95.620
165.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	91.120
166.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	104.170
167.	सेंवढ़ा	कसा	P-7	2015-16	148.500
168.	सेंवढ़ा	बधावली	P-17	2015-16	146.250
169.	सेंवढ़ा	चिताई	P-29	2015-16	180.670
170.	सेंवढ़ा	गुमानपुरा	P-1	2015-16	154.350
171.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	P-10	2015-16	106.880
172.	सेंवढ़ा	जरा	P-11	2015-16	107.770
173.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2015-16	137.700
174.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2015-16	131.170
175.	दतिया	चौपरा	P-65	2015-16	207.900
176.	दतिया	पलोथर	P-80	2015-16	122.620
177.	दतिया	बसई	P-85	2015-16	107.560
178.	गोराघाट	खोड़न	109	2015-16	134.320
179.	सेंवढ़ा	बसई	31	2015-16	186.300
180.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	39	2015-16	166.950
181.	सेंवढ़ा	भरसूला	42	2015-16	124.420
182.	दतिया	रिछरा	P-54	2015-16	112.270
183.	दतिया	चौपरा	P-60	2015-16	147.820
184.	दतिया	लरायटा	P-70	2015-16	58.950
185.	दतिया	ललउआ	R-69	2015-16	53.550
186.	दतिया	चक बहादुरपुर	R-48	2015-16	103.500
187.	गोराघाट	गोराकोटरा	93	2015-16	86.170
188.	गोराघाट	डंगराकुआ	R-100	2015-16	107.100
189.	गोराघाट	हिडौरा	103	2015-16	104.600
190.	सेंवढ़ा	टुंकी	P-4	2016-17	145.570
191.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	P-8	2016-17	231.750
192.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	P-24	2016-17	138.390
193.	सेंवढ़ा	गुमानपुर	P-1	2016-17	154.350
194.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	P-10	2016-17	115.200
195.	सेंवढ़ा	जरा	P-11	2016-17	107.770
196.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2016-17	137.700
197.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2016-17	131.170

1	2	3	4	5	6
198.	दतिया	चौपरा	P-65	2016-17	207.900
199.	दतिया	कालीपहाड़ी	P-80	2016-17	122.620
200.	दतिया	मुड़रा	P-85	2016-17	112.500
201.	गोराघाट	खोड़न	109	2016-17	134.320
202.	सेवढ़ा	बसईमलक	31	2016-17	186.300
203.	सेवढ़ा	बिलासपुर	39	2016-17	166.950
204.	सेवढ़ा	भरसूला	42	2016-17	124.420
205.	दतिया	रिछरा	P-54	2016-17	112.270
206.	दतिया	चौपरा	P-60	2016-17	147.820
207.	दतिया	गुजरा	69	2016-17	53.550
208.	दतिया	लरायटा	P-70	2016-17	58.950
209.	दतिया	चक बहादुरपुर	48	2016-17	103.500
210.	गोराघाट	गोराकोटरा	93	2016-17	86.170
211.	गोराघाट	डंगराकुंआ	P-100	2016-17	107.100
212.	गोराघाट	हिंडौरा	P-103	2016-17	104.600

जे. आर. वास्कले,
वनमण्डलाधिकारी.

(480)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/729.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/321, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवखजूरी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./578, दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/730.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा के द्वारा

उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/320, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटखेड़ी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./570, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-A)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/731.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/316, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./244, दिनांक 04 नवम्बर, 1982 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-B)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/732.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुलतनिया, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जनवरी, 1993 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/317, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तनिया, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./480, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-C)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिसका कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./566, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्योची, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./566, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-D)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार समाइ अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिसका कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये समाइ अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/326, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में

लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से सप्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सप्राट अशोक श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./508, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-E)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 24 फरवरी, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/306, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./904, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-F)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 19 अगस्त, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/304, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./936, दिनांक 19 अगस्त, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. पी. पाटिल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-G)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/291, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./849, दिनांक 04 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. भारद्वाज, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(481-H)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 नवम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/307, विदिशा, दिनांक 0 2 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./975, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. भारद्वाज, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप पंजीयक।

(481-I)

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 07 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./विधि./लेखा/144.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/एम.डी.एस.आर/एचओ/65, दिनांक 20 नवम्बर, 1961 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/विधि/2016/162, दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के अंतर्गत समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. कोठारी,

परिसमापक।

(473)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेड़ातन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. परमार, पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(482)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा उज्जैनीय परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1467, दिनांक 29 सितम्बर, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री संतोष साँकलिया, पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(482-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा गिरिजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1644, दिनांक 04 मार्च, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री संतोष साँकलिया, पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(482-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा क्षिप्रा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 13 फरवरी, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल, पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप पंजीयक।

(482-C)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई, 2016-आषाढ़ 10, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सागर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, रायसेन, जबलपुर व छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), उदयपुरा (रायसेन), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुडम (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, पांडुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील मालथोन (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.— ..

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति— ..

5. कटाई.— जिला धार, होशंगाबाद में फसल गेहूँ व बुरहानपुर में चना, गेहूँ व कटनी में गेहूँ, चना, मसूर व भोपाल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर व मुरैना, पन्ना, सीधी, इन्दौर, खरगौन, सीहोर व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.— जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिंडोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त्र बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016

क्र. जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, उड्ढ, मूँग, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. शाढौरा					
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज					
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा 1.0					
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सबाहा					
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई- सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर					
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	2.2 10.1 13.4 7.2 4.6 3.0 2.0 42.0 12.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. जिला दमोह* :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7... 8...
1. हटा	..					
2. बटियागढ़	..					
3. दमोह	..					
4. पथरिया	..					
5. जबेरा	..					
6. तेन्दूखेड़ा	..					
7. पटेरा	..					
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7... 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	2.3					
2. मझगवां	..					
3. रामपुर-बघेलान	..					
4. नागौद	3.2					
5. उचेहरा	8.0					
6. अमरपाटन	3.0					
7. रामनगर	..					
8. मैहर	4.0					
9. बिरसिंहपुर	1.0					
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..					
2. सिरमौर	..					
3. मऊगंज	..					
4. हनुमना	..					
5. हजूर	..					
6. गुड़	..					
7. रायपुरकर्चुलियान	..					
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..					
2. ब्यौहारी	..					
3. जैसिंहनगर	..					
4. जैतपुर	..					
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, राई- सरसों, गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.5					
2. अनूपपुर	4.6					
3. कोतमा	1.5					
4. पुष्पराजगढ़	6.7					
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	0.8					
2. पाली	..					
3. मानपुर	..					
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..					
2. सिंहावल	..					
3. मझौली	..					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	..					
6. रामपुरनैकिन	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, राई- सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	..					
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	..					
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ेदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कनोद 6. खातेगांव	..					
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. भामरा	..					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	..					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..					
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई- सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगोन 5. गोगावा 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भोकनगांव 9. झिरन्या	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..					
2. ठीकरी	..					
3. राजकोट	..					
4. सेंधवा	..					
5. पानसेमल	..					
6. पाटी	..					
7. निवाली	..					
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..					
2. पंधाना	..					
3. हरसूद	..					
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	चना, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..					
2. खकनार	..					
3. नेपानगर	..					
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..					
2. खिलचीपुर	..					
3. राजगढ़	..					
4. ब्यावरा	..					
5. सारंगपुर	..					
6. पचोर	..					
7. नरसिंहगढ़	..					
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..					
2. सिरोंज	..					
3. कुरवाई	..					
4. बासोदा	..					
5. नटेरन	..					
6. विदिशा	..					
7. गुलाबगंज	..					
8. ग्यारसपुर	..					
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	गेहूँ, चना, मटर, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..					
2. हुजूर	..					
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..					
2. आस्टा	..					
3. इच्छावर	..					
4. नसरुल्लागंज	..					
5. बुधनी	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, लाख (तिवड़ा) अधिक. चना, मूँग कम. मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..					
2. गैरतगंज	..					
3. बेगमगंज	..					
4. गौहरगंज	..					
5. बरेली	..					
6. सिलवानी	..					
7. बाड़ी	..					
8. उदयपुरा	1.0					
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..					
2. घोड़ाड़ोंगरी	..					
3. शाहपुर	..					
4. चिंचोली	..					
5. बैतूल	..					
6. मुलताई	..					
7. आठनेर	..					
8. आमला	..					
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. चना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिक्की-मालवा	..					
2. होशंगाबाद	..					
3. बावई	..					
4. इटारसी	..					
5. सोहागपुर	..					
6. पिपरिया	..					
7. बनखेड़ी	..					
8. पचमढ़ी	..					
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..					
2. खिड़किया	..					
3. टिमरनी	..					
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	5.2					
2. पाटन	6.2					
3. जबलपुर	6.8					
4. मझोली	..					
5. कुण्डम	3.0					
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	गेहूँ, चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..					
2. रीठी	..					
3. विजयराघवगढ़	..					
4. बहोरीबंद	..					
5. ढीमरखेड़ा	..					
6. बरही	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर* :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाड़वारा	..					
2. कोरेली	..					
3. नरसिंहपुर	..					
4. गोटेगांव	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..					
2. बिछिया	..					
3. नैनपुर	..					
4. मण्डला	..					
5. घुघरी	..					
6. नारायणगंज	..					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..					
2. बजाग	..					
3. शाहपुरा	..					
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	2.0					
2. जुनारदेव	17.2					
3. परासिया	8.1					
4. तामिया	4.0					
5. सोंसर	..					
6. पांढुणा	2.0					
7. अमरवाड़ा	4.2					
8. चौरई	7.4					
9. बिछुआ	1.0					
10. चांद	3.3					
11. हरई	12.3					
12. मोहखेड़ा	1.0					
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई- सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..					
2. केवलारी	..					
3. लखनादेन	..					
4. बरघाट	..					
5. उरई	..					
6. घंसर	..					
7. घनोरा	..					
8. छपारा	..					
51. जिला बालाघाट :*	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बालाघाट	..					
2. लाँजी	..					
3. बैहर	..					
4. वारासिवनी	..					
5. कटांगी	..					
6. किरनापुर	..					

टीप.-*जिला दमोह, बैतूल, नरसिंहपुर, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।